

21.12.2021

वादी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादी ने स्वयं उपस्थित आकर वादपत्र को विद्धा करने का निवेदन किया। वादी की पहचान श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थना-पत्र पर वादी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.12.2021 को स्वीकार कर वादी का वादपत्र वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

